2010 का विधेयक संख्यांक 41

हिमाचल प्रदेश शरीर–रचना विज्ञान (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश शरीर–रचना विज्ञान अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश शरीर–रचना विज्ञान (संशोधन) अधिनियम, 2010 है । संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश शरीर–रचना विज्ञान अधिनियम, 1966 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) के बृहत् नाम में "मृतकों के लावारिस शवों" शब्दों से पूर्व "शरीर या उसके किसी अंग तथा" शब्द और "प्रदाय" शब्द से पूर्व "दान तथा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। बृहत् नाम का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में खण्ड (6) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्.–– धारा 2 का संशोधन।

"(7) "शरीर का दान" से शरीर–रचना परीक्षण और अनुसन्धान के प्रयोजन हेतु किसी व्यक्ति द्वारा अपने सम्पूर्ण शरीर या उसके किसी अंग का दान अभिप्रेत है।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–– नई धारा 5क. का अन्तःस्थापन।

"5क. शरीर–रचना परीक्षण आदि के लिए मृतक व्यक्तियों के शरीर या उसके किसी अंग का दान.–(1) यदि किसी व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पूर्व, किसी भी समय लिखित रूप में दो या दो से अधिक

साक्षियों की उपस्थिति में यह आशय व्यक्त किया है कि उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके शरीर या उसके शरीर के किसी अंग को, शरीर–रचना परीक्षण और विच्छेदन करने या अन्य समरूप प्रयोजन के लिए किसी अनुमोदित संस्थान को उपयोग के लिए दे दिया जाए, तो उसका कोई निकट नातेदार, जब तक कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि उक्त आशय तत्पश्चात् प्रतिसंहृत कर दिया गया था, मृतक शरीर या उसके किसी अंग को आशय अनुसार उपयोग करने के लिए किसी अनुमोदित संस्थान को हटाने (ले जाने) / निकालने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) मृतक व्यक्ति का विधिक वारिस भी शरीर या उसके किसी अंग को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के लिए दान कर सकेगा ।

(3) उपधाराओं (3) और (4) के उपबन्धों के अध्यधीन, इस धारा के अनुसरण में दिए गए प्राधिकार के अनुसार, सम्पूर्ण शरीर या उसके किसी अंग को निकालना और उसका उपयोग करना विधि पूर्ण होगा, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शरीर या उसके किसी अंग को निकाले जाने और इसके उपयोग के लिए समुचित आधार होगा।

(4) किसी भी मृतक व्यक्ति के शरीर या उसके किसी भी अंग को, किसी स्थान से जहां पर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई हो,––

(i) ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय से अड़तालीस घण्टे के भीतर ; या

(ii) जब तक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को, शरीर को हटाने (ले जाने) के आशय का चौबीस घण्टे का नोटिस (जिसकी गणना ऐसी मृत्यु के समय से की जाएगी) न दे दिया गया हो; या

(iii) जब तक कि, शरीर को हटाने (ले जाने) से पूर्व उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिसने ऐसे व्यक्ति की उस बीमारी के दौरान, परिचर्या की हो, जिससे उसकी मृत्यु हुई हो, द्वारा सम्यक्रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र, जिसमें ऐसे व्यक्ति की

मृत्यु कैसे हुई है, का विवरण हो, या, यदि ऐसे किसी व्यवसायी ने ऐसी बीमारी के दौरान ऐसे व्यक्ति की परिचर्या न की हो, तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सम्यक्रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, जिसको ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसके शरीर के निरीक्षण के लिए बुलाया जाएगा और जिसने मृत्यु कैसे हुई उसका और उसके कारण का अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से विवरण दिया हो, अभिप्राप्त न कर लिया हो और ऐसे प्रमाण पत्र को शव के साथ उपर्युक्त किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए उसे प्राप्त करने वाले परिदत्त अनुमोदित संस्थान के प्रभारी प्राधिकारी को, परिदत्त किया जाएगा ;

उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए हटाया (ले जाया) / निकाला नहीं जाएगा।

(5) यदि किसी निकट रिश्तेदार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे शव का तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार मृत्यु समीक्षा या शव परीक्षण किया जाना अपेक्षित है तो ऐसी विधि के अधीन मृत्यु समीक्षा करने या शव रचना परीक्षण करने का आदेश देने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी की सहमति के सिवाय, इस धारा के अधीन शव को हटाने (ले जाने) या उसके किसी अंग को निकालने के लिए प्राधिकार नहीं दिया जाएगा।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश शरीर–रचना विज्ञान अधिनियम,1966 (1966 का अधिनियम संख्यांक 4) मृतक व्यक्तियों के लावारिस शवों का, शरीर–रचना परीक्षण और अनुसन्धान आदि के प्रयोजन के लिए अस्पतालों और आयुर्विज्ञान और शिक्षण सस्थाओं को प्रदाय करने का उपबन्ध करता है परन्तु अधिनियम में शरीर या उसके किसी अंग को शरीर रचना परीक्षण और अनुसंधान आदि के लिए दान देने का उपबन्ध नहीं है। आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला और डा0 राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा, हिमाचल प्रदेश केवल लावारिस शवों को शरीर रचना परीक्षण और अनुसंधान आदि के प्रयोजन के लिए प्राप्त कर रहे हैं। कुछ एक हितबद्ध व्यक्तियों के अनुसंधान और शरीर–रचना परीक्षणों के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण शरीर या उसके किसी अंग को दान करने हेतु आगे आने के दृष्टिगत और माननीय उच्च न्यायालय के सी डब्ल्यू पी संख्याः 1361 ऑफ 2010, नामतः राम लाल शर्मा बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एण्ड अदर्स, में दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम में यथोचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि उसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा या मृतक व्यक्ति के विधिक वारिस द्वारा सम्पूर्ण शरीर या उसके किसी अंग को अनुसंधान और शरीर रचना परीक्षण आदि के प्रयोजन के लिए दान करने हेतु उसमें उपबन्ध किया जा सके। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

डा0 राजीव बिन्दल,
प्रभारी मंत्री।

धर्मशाला :
तारीखः.., 2010

———————

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

—————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 41 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH ANATOMY (AMENDMENT) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Anatomy Act,*1966 *(Act No.*4 *of* 1966*).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Anatomy (Amendment) Act, 2010.

Amendment of long title.

2. In long title of the Himachal Pradesh Anatomy Act,1966 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after the words "provide for", the words "donation of bodies or any part thereof and" shall be inserted.

Amendment of section 2.

3. In section 2 of the principal Act, after clause (6), the following clause shall be inserted, namely:—

"(7)" donation of body" means donation of whole body or any part thereof by any person for the purpose of anatomical examination and research .".

Insertion of new section 5A.

4. After section 5 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely :—

5A. Donation of body or any part thereof of deceased persons for anatomical examination etc.— (1) If any person at any time before his death had expressed an intention in writing in the presence of two or more witnesses, that his body or any part thereof be given to an approved institution for being used after his death for the purpose of conducting anatomical

examination and dissection or other similar purpose, any near relative may, unless he has reason to believe that the said intention was subsequently revoked, authorize the removal of the dead body or such part thereof to any approved institution for use in accordance with the intention.

(2) The legal heir of a deceased person may also donate the body or any part thereof for the purposes specified in this Act.

(3) Subject to the provisions of sub-sections (4) and (5), the removal and use of whole body or any part thereof in accordance with an authority given in pursuance of this section shall be lawful, and shall be sufficient warrant for the removal of the body or any part thereof and it's use for the purposes of this Act.

(4) The body or any part thereof of any deceased person shall not be removed for any of the purposes specified in sub-section (1) from any place where such person may have died,—

(i) within forty-eight hours from the time of such person's death; or

(ii) until after twenty-four hours notice, (to be reckoned from the time of such death) to the Executive Magistrate of the intended removal of the body; or

(iii) unless a certificate stating in what manner such person came by his death is obtained before the removal of the body, duly signed by the registered medical practitioner who attended such person during the illness whereof he died or, if no such practitioner attended such person during such illness, then, by a registered medical practitioner who shall be called in after the death of such person to view his body and who shall state the manner and cause of death according to the best of his knowledge and belief and such certificate shall be delivered together with the body to the authority in-charge of an approved institution receiving the same for any of the purposes aforesaid.

(5) If near relative has reason to believe that an inquest or a postmortem examination of such body may be required to be held in accordance with the provisions of any law for the time being in force, the authority for the removal of the body or any part thereof shall not be given under this section except with the consent of the authority empowered to hold an inquest or order postmortem under such law.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Anatomy Act,1966 (Act No. 4 of 1966) provides for supply of unclaimed bodies of deceased person to hospitals and medical and teaching institutions for the purpose of anatomical examination and research etc. but the Act does not provide for donation of bodies or any part thereof for anatomical examinations and research etc. The Medical Institutions like Indira Gandhi Medical College, Shimla and Dr. Rajindra Prasad Government Medical College, Tanda are receiving only unclaimed bodies for the purpose of anatomical examination and research etc. In view of coming forward of few people interested in donating the whole body or any part thereof for the purpose of research and anatomical examinations and in view of the direction of Hon'ble High Court in CWP No.1361 of 2010, titled as Ram Lal Sharma Versus State of Himachal Pradesh and others, it has been decided to suitably amend the Act ibid to provide for donation of whole body or any part thereof by any person or legal heir of a deceased person for the purpose of research and anatomical examination etc. This has necessitated amendments in the Act ibid .

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives .

Dr. RAJEEV BINDAL,
Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA :
Dated: ...., 2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—